UPKN010065242026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल, एच0जे0एस0

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2218/2026

आरिफ उर्फ माठा उम्र लगभग 29 वर्ष पुत्र अली मुहम्मद निवासी मकान नं0–111 गंगागंज, पनकी, थाना पनकी, कानपुर नगर।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

सेशन केस सं0–527/2025
मु0अ0सं0–33/2025
धारा–109(1),352,351(3),317(2)बी0एन0एस0
एवं 3/25 आयुध अधिनियम
थाना–पनकी, कानपुर नगर

15.06.2026

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आरिफ उर्फ माठा की ओर से मुकदमा अपराध सं0–33/2025, धारा–109(1), 352, 351(3), 317(2) बी0एन0एस0 एवं 3/25 आयुध अधिनियम, थाना पनकी, कानपुर नगर में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि 20.01.2025 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्रवण तिवारी हमराही पुलिस कर्मचारियों के साथ शान्ति व्यवस्था डयूटी में कार्यरत थे। उसी दौरान न्यायालय में पेशी के दौरान पुलिस कर्मचारियों की अभिरक्षा से फरार अपराधी आरिफ उर्फ माठा की चेकिंग के भी निर्देश प्राप्त हुआ। उपरोक्त की तलाश हेतु भौती हाईवे अण्डरपास पर चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति लाल व काले रंग की अपाचे मोटरसाइकिल से तेज गति से आता हुआ दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया किन्तु वह नहीं रूका तो पुलिस बल को संदेह होने पर पीछा किया गया। जब पीछा करते हुए उस व्यक्ति के पास पहुॅचे तो झाड़ियों में गोडी को रोककर वह व्यक्ति भागने लगा तथा पुलिस से घिरता देख पुलिस पार्टी को गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए पुलिस टीम के सदस्यों पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे पुलिस टीम बाल–बाल बच गयी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ सरकारी पिस्टल से एक राउण्ड फायर किया गया तो चीख की आवाज सुनाई दी, पास जाकर देखा तो उस व्यक्ति के पास एक अदद तमन्चा था जो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा था। उस व्यक्ति के पैर में घुटने के नीचे गोली लगी थी जो दर्द से कराह रहा था। पकडे गये व्यक्ति से नाम, पता पूॅछा गया तो उसने अपना नाम आरिर्फ उर्फ माठा बताया, उसकी जामा तलाशी पर पैन्ट की दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व बायी जेब से 600/–रू0 बरामद हुए। पकडा गया व्यक्ति जिस मोटरसाइकिल से भाग रहा था वह घटनास्थल पर पडी हुई थी जिसका नम्बर यू0पी078एफएम

6079 है जिसके संबंध में जानकारी की गयी तो पता चला कि उक्त मोटरसाइकिल गंगागंज से चोरी की गयी है जिसके संबंध में थाना पनकी में मु0अ0सं0 32/2025 दर्ज है।

3. फर्द बरामदगी के आधार पर थाना पनकी, कानपुर नगर मे अ0सं0 33/2025 धारा–109, 352, 351(3), 317(2) बी0एन0एस0 एवं 3/25 आयुध अधिनियम अभियुक्त आरिफ उर्फ माठा के विरूद्ध दिनांक 21.01.2025 को पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए कहा गया कि अभियोजन कथानक बिल्कुल झूॅठा एवं बेबुनियाद है। उक्त प्रकरण में अभियुक्त को झूॅठा फंसाया गया है, अभियुक्त ने ऐसा कोई भी अपराध कारित नहीं किया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी प्रकार के घातक आयुधों से सुसज्जित होकर किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया गया है और न ही कोई फायर किया गया है। अभियुक्त को पुलिस द्वारा दिनांक 20.01.2025 को झूॅठी गिरफ्तारी दिखाते हुए उसे पास से झूॅठी बरामदगी दिखाई गयी है। बरामदगी के समय कोई भी जनता का गवाह मौके पर नहीं मिला है। अभियुक्त के पास से कोई असलहा बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्त दिनांक 20.01.2025 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, जमानत स्वीकार की जाये।
5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि पुलिस टीम द्वारा पुलिस कर्मचारियों की अभिरक्षा से फरार अभियुक्त आरिफ उर्फ माठा को चेकिंग के दौरान पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम को गाली–गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर किया गया जिससे पुलिस टीम बाल–बाल बच गयी। अभियुक्त के पास से नाजायज तमन्चा, दो अदद जिन्दा कारतूस व 600/–रू0 बरामद हुए है तथा चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। अभियुक्त का 08 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। मामले में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत निरस्त की जाये।
6. अभियुक्त की ओर से चीफ लीगल एड. डिफेन्स काउन्सिल तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।
7. निर्णय विधि **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0 21** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्यायालय को विचार करना चाहिए–
    1. क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अथवा युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है।
    2. आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता।
    3. दोषसिद्धि की दशा मे दण्डादेश की कठोरता।
    4. जमानत प्रदान किये जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय।
    5. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति।

6. अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना।
7. साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय।
8. जमानत स्वीकार किये जाने की दशा मे न्यायहित समाप्त होने का भय।
9. अपराधिक इतिहास।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार जब पुलिस द्वारा अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर तमन्चे से जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिससे पुलिस बल बाल–बाल बच गये। अभियुक्त के पास से नाजायज तमन्चा, दो अदद जिन्दा कारतूस व 600/–रू0 बरामद हुए है तथा चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है।
9. फर्द बरामदगी के अनुसार कथित फायरिंग में किसी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आयी है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का 08 मुकदमों का आपराधिक इतिहास होना दर्शित किया गया है। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 25.01.2025 से कारागार में निरूद्ध है।
10. अभियोजन की ओर से अभियुक्त का 08 मुकदमों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। आपराधिक इतिहास को मामले के अन्य तथ्यों के साथ देखा जाना है, यदि अन्य तथ्यों से अभियुक्त की जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है तो मात्र आपराधिक इतिहास होने के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त नहीं किया जा सकता।
11. मामले के तथ्यों एवं परिस्थतियों के दृष्टिगत इस केस के तथ्यों पर अधिक टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

12. आवेदक/अभियुक्त आरिफ उर्फ माठा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
13. आदेश की एक प्रति मूल पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।
14. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई–मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 15.06.2026
मनोज

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.06.15 17:26:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court